

कार्यालय रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: फा. () सविरा/बैंकिंग/ऋणमाफी/2018

दिनांक: 17/7/2018

परिपत्र LW 7 (स्पष्टीकरण)

फसली ऋण माफी योजना 2018 के परिपेक्ष्य में जारी परिपत्र LW 7 द्वारा मृतक सदस्यों के मामलों में जारी दिशा-निर्देशों के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि योजनान्तर्गत दस्तावेज के रूप में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र को पात्रता की पुष्टि व डाटा वेलिडेशन हेतु स्वीकार किया जावे। मृतक के विधिक वारिसान को फसली ऋण माफी योजनान्तर्गत देय ऋण माफी का लाभ प्रदान करते हुए ऋण माफी प्रमाण पत्र जारी किया जावे तत्पश्चात् ऋण माफी राशि के क्लेम राज्य सरकार को विहित प्रक्रिया/दिशा-निर्देशानुसार प्रस्तुत किया जावे।

यह स्पष्टीकरण निर्देशानुसार राजस्थान फसली ऋण माफी योजना, 2018 के बिन्दु संख्या 13.3 के तहत जारी किया जाता है।

(जी.एल. स्वामी)
अतिरिक्त रजिस्ट्रार (द्वितीय)

क्रमांक:फा.() सविरा/बैंकिंग/ऋण माफी/2018 पार्ट-1

दिनांक: 17/7/2018

प्रतिलिपि:—सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु—

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय सहकारिता मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, सहकारिता विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. निजी सचिव, रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर।
6. जिला कलेक्टर(समस्त)
7. अतिरिक्त रजिस्ट्रार—प्रथम/द्वितीय, स.स., प्रधान कार्यालय, जयपुर।
8. वित्तीय सलाहकार, सहकारी समितियां, प्रधान कार्यालय, जयपुर।
9. मुख्य अंकेक्षक, सहकारी समितियां, प्रधान कार्यालय, जयपुर।
10. अतिरिक्त रजिस्ट्रार (मोनेटरिंग), सहकारी समितियां, प्रधान कार्यालय, जयपुर।
11. प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लि., जयपुर।
12. प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि., जयपुर। ~~प्रबंध निदेशक, केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. (समस्त)~~
13. प्रभारी अधिकारी, श्री/श्रीमती.....(समस्त)
14. अतिरिक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां,खण्ड.....(समस्त)
15. उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां.....(समस्त)
16. सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, प्रधान कार्यालय, जयपुर को आज ही विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

अतिरिक्त रजिस्ट्रार (बैंकिंग)

325
18/7